29/1/25	विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते पोषणीय नही होने से उक्त अपील खारिज करने के संबंध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम बलवना, तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नंबगर 213 रकबा 02 बीघा के हाल खसरा नंबर 573 रकबा 0.29 हैक्टेर (वर्तमान खसरा नंबा 573 रकबा 0.23 हैक्टेर, खसरा नंबर 573/1 रकबा 0.0600 हैक्टेर कुल रकबा 0.2900 हैक्टेर) भूमि अपीलांट के पूर्वज स्व0 नेतीया दला पिरसरान गोमा, जाति मेणा की खातेदारी की थी, जो विधि विरूद्ध व बिना बेचान, हस्तान्तरण के नामान्तरण संख्या 59 दिनांक 25.04.1971 के जरिये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम इन्द्राज कर दी गई। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद संख्या 1779/2015 बअनवान स्वर्गीय नेतीया के वारिसान देवाराम वगैरह बनाम भूराराम वगैरह प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 के जरिये आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज कर दिया गया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई। वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति की होने के कारण अपीलांटस द्वारा नामान्तरण संख्या 59 दिनांक 24.04.1971 को निरस्त करवाने उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष म्यूटेशन अपील संख्या 07/2016 बअनवान स्व0 नेतीया के का0मु0 देवाराम वगैरह बनाम भूरा वगैरह प्रस्तुत की गई, जिसके अन्तर्गत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.05.2016 के जरिये नामान्तरण संख्या 59 दिनांक 25.04.1971 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोही सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त आदेश अंतिम हो चुका है एवं वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है। अपीलांट वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खातेदारी उद्घोषणा का वाद पोषणीय नही होने से उक्त अपील औचित्यहीन हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे संपरिवर्तन आदेश दिनांक 16.03.2015 एवं 18.06.2014 के विरूद्ध श्रीमान जिला कलक्टर पाली के समक्ष राजस्व अपील संख्या 107/2017 एवं 108/2017 प्रस्तुत की गई, जिसके अन्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.04.2021 के जरिये संपरिवर्तन आदेश दिनांक 16.03.2015 एवं 18.06.2014 को निरस्त किया जा चुका है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई चाराजोही सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज एवं वादग्रस्त भूमि के संबध मे वाद पोषणीय नही होने से उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2074-2077 एवं उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा म्यूटेशन अपील संख्या 07/2016 बअनवान स्व0 नेतीया उर्फ नेताराम के का0मु0 देवाराम वगैरह बनाम भूराराम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 की फोटोप्रति अवलोकन किया गया। उपरोक्त दस्तावेजो के अवलोकन से	

	अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को पुष्टि होती है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत उक्त अपील का कोई सार नही रह जाता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with OKEN Scanner